भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3324
सोमवार 16 दिसंबर, 2024
25 अग्रहायण, 1946 (शक)

विनिवेश लक्ष्य

3324. श्री के. सी. वेणुगोपाल:

क्या *वित्त* मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा पिछले पांच वित्तीय वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान निर्धारित और प्राप्त किए गए विनिवेश लक्ष्यों का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार की वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अपने विनिवेश लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु किसी लाभ कमाने वाले सरकारी उपक्रमों के विनिवेश की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार की योजना लाभ कमाने वाले किसी भी सरकारी उपक्रम के विनिवेश के अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने की है?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क): केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के संशोधित अनुमानों (आरई) और वास्तविक विनिवेश प्राप्तियों का विवरण निम्नानुसार है:

करोड़ रुपये में

वर्ष	संशोधित अनुमान (आरई)	वास्तविक प्राप्तियां
2019-20	65,000	50,300
2020-21	32,000	32,886
2021-22	78,000	13,534
2022-23	50,000	35,294
2023-24	संशोधित अनुमान के चरण पर विनिवेश के लिए कोई विषेश प्राक्कलन नहीं है।	16,507
2024-25	बजट अनुमान के चरण पर विनिवेश के लिए कोई विषेश प्राक्कलन नहीं है।	8,625 (दिनांक 10.12.2024 की स्थिति के अनुसार)

वित्त वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमान चरण से अलग विनिवेश लक्ष्य/प्राक्कलन को रोक दिया गया है। वर्ष 2023-24 के दौरान, बजट अनुमान (बीई) चरण पर विनिवेश के लिए 51,000 करोड़ रुपये और पर अन्य पूंजीगत प्राप्तियों के लिए 10,000 करोड़ रुपये का प्राक्कलन किया गया था।

तथापि, संशोधित अनुमान (आरई) चरण पर "विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ - प्राप्तियाँ" के तहत 30,000 करोड़ रुपये रखा गया था, जिसमें विनिवेश की पूर्ववर्ती श्रेणियां और अन्य पूंजीगत प्राप्तियां जैसे कि परिसंपत्ति मुद्रीकरण शामिल हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान विनिवेश प्राप्तियों के लिए कोई विशिष्ट अनुमान/लक्ष्य नहीं है। अब तक, सरकार को विभिन्न अल्पांश हिस्सेदारी बिक्री विनिवेश सौदों के माध्यम से 8,625 करोड़ रुपये का अर्थागम हुआ है।

(ख) एवं (ग): सरकार (i) अल्पांश हिस्सेदारी की बिक्री (ii) सीपीएसई के रणनीतिक विनिवेश के माध्यम से विनिवेश करती है। सीपीएसई में अल्पांश हिस्सेदारी की बिक्री प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के बिना सेबी द्वारा अनुमोदित पद्धतियों जैसे कि आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ), बिक्री की पेशकश (ओएफएस), शेयरों की वापसखरीद आदि के माध्यम से मूल्य को निर्मुक्त करने, जन स्वामित्व को बढ़ावा देने, सेबी की न्यूनतम जन शेयरधारिता की शर्त को पूरा करने और उच्च स्तर की जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए की जाती है। रणनीतिक विनिवेश का आशय प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ सीपीएसई में सरकारी शेयरधारिता के समग्र या पर्याप्त हिस्से की बिक्री से है। निजीकरण के मामले में, जो की रणनीतिक विनिवेशों का एक उपसमूह है, सीपीएसई में सरकार की इक्विटी और इसका प्रबंधन नियंत्रण एक निजी रणनीतिक खरीदार(ओं) को हस्तांतरित कर दिया जाता है और रणनीतिक विनिवेश के अन्य मामलों में, सरकारी इक्विटी को नियंत्रण के साथ दूसरे सीपीएसई को हस्तांतरित कर दिया जाता है।

रणनीतिक विनिवेश/निजीकरण की नीति इस आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है कि सरकार को उन क्षेत्रों में नहीं बने रहना चाहिए, जिनमें प्रतिस्पर्धात्मक बाजार बहुत पहले से आए हुए हैं और पूंजी निवेश, तकनीकी उन्नयन और कुशल प्रबंधन परिपाटियों जैसे विभिन्न कारकों के कारण ऐसी कंपनियों की आर्थिक क्षमता रणनीतिक निवेशक के हाथों में संभवत: बेहतर रूप से अन्वेषित होगी। लाभप्रदत्ता/हानि निजीकरण/रणनीतिक विनिवेश का प्रासंगिक मापदंड नहीं है।

विनिवेश एक सतत् प्रक्रिया है, और विशेष सौदों का निष्पादन/संपन्न होना बाजार परिस्थितियों, घरेलू और वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण, भू-राजनैतिक कारकों, निवेशक अभिरूचि और प्रशासनिक व्यवहार्यता पर निर्भर करता है। सरकार ने वर्ष 2016 से, पीएसई और/या पीएसई की सहायक कंपनियों/इकाईयों/संयुक्त उद्यमों/बैंकों के रणनीतिक विनिवेश के लिए 36 मामलों में 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान किया है। 36 मामलों में से, 33 मामलों को दीपम द्वारा संभाला जा रहा है और 3 मामलों को संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा संभाला जा रहा है। दीपम द्वारा संभाले जा रहे 33 मामलों में से, 10 मामलों में (8 सौदे सीपीएसई से सीपीएसई क्षेत्र में हैं जबकि एयर इंडिया और एनआईएनएल का निजीकरण कर दिया गया है।) रणनीतिक विनिवेश सौदे संपन्न कर लिए गए हैं; 5 पीएसई बंदीकरण के लिए विचाराधीन है; मुकद्दमेबाजी के चलते 1 मामला अटका हुआ है और 01 मामला एनसीएलटी के समक्ष कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के अधीन है और 02 सौदे व्यवहार्य नहीं पाए गए हैं। शेष 14 सौदों में से, 6 पीएसई के मामले में रूचि की अभिव्यक्ति जारी नहीं की गई या रूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई)/प्रस्ताव हेतु अनुरोध(आरएफपी) जारी करने के बाद सौदे रद्द कर दिए गए और 8 सौदे रणनीतिक विनिवेश प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं। विवरण अनुबन्ध-**I** पर दिया गया है।

*****

अनुबंध -**I**

विनिवेश लक्ष्यों के संबंध में माननीय सांसद श्री के. सी. वेणुगोपाल द्वारा पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 3324 के उत्तर से संबंधित अनुबंध

उन पीएसई और/या पीएसई की सहायक कंपनियों/इकाइयों/संयुक्त उद्यमों और बैंकों की सूची जिनके रणनीतिक विनिवेश के लिए सरकार ने वर्ष 2016 से 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान किया है।

1. <u>चल रहे सौदे जिन पर दीपम द्वारा कार्रवाई की जा रही है जिसमें रूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) जारी हो चुकी है</u>

क्र. सं.	पीएसई का नाम
1.	बीईएमएल लिमिटेड
2.	शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
3.	एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड
4.	प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड
5.	फेरो स्क्रेप निगम लिमिटेड (सहायक कंपनी)#
6.	इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिक्लस कॉरपोरेशन लिमिटेड
7.	एनएमडीसी स्टील लिमिटेड (एनएसएल)
8.	आईडीबीआई बैंक

#रणनीतिक खरीदार चुना गया और मैसर्स कोनोइक ट्रांसपोर्ट कं. लि., मैसर्स एमएसटीसी लि. और मैसर्स एफएसएनएल लि. के बीच शेयर खरीद करार (एसपीए) हस्ताक्षर कर लिया गया है। सौदा समापन चरण में पहुंच चुका है।

2. <u>वे सौदे जहां ईओआई जारी नहीं हुई है या ईओआई/आरएफपी के जारी होने के बाद सौदे रद्द कर दिए गए</u> :

9.	भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को छोड़कर)
10.	पवन हंस लिमिटेड
11.	सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (सीईएल)
12.	भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की इकाइयां – मिश्रधातु इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर; सेलम इस्पात संयंत्र; भद्रावती इस्पात संयंत्र
13.	कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
14.	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड

3. <u>वे सौदे जिन पर संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा कार्रवाई की जा रही है</u>

क्र. सं.	पीएसई का नाम
15.	भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की विभिन्न इकाइयां
16.	हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड
17.	बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड

4. पीएसई के बंदीकरण हेतु अनुशंसा/अनुमोदन के कारण या अन्य किसी कारण से रोके गए सौदे

क्र. सं.	पीएसई का नाम
18.	हिन्दुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड (सहायक कंपनी)*
19.	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड^
20.	भारत पंप्स एंड कम्प्रेसर्स लिमिटेड*
21.	हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड **
22.	सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की इकाइयां (नयागांव इकाई)#

* सरकार ने कम्पनी के बंदीकरण का अनुमोदन प्रदान कर दिया था।
^ कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज से असूचीबद्ध कर दिया गया है।
** सीपीएसई बंदीकरण के अधीन है।
# सौदा व्यवहार्य नहीं है और खानों को राज्य सरकारों को वापस लौटाया जा रहा है।

5. मुकद्दमेबाजी के कारण रोके गए सौदे

क्र. सं.	पीएसई का नाम
23.	कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्यूटिक्लस लिमिटेड

6. एनसीएलटी में कार्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के अंतर्गत

क्र. सं.	पीएसई का नाम
24.	हिंदुस्तान न्यूज प्रिंट लिमिटेड (सहायक कंपनी)**

** जनवरी,2021 में राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण ने हिंदुस्तान न्यूज प्रिंट लिमिटेड के अधिग्रहण के लिए केरल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलमेंट कॉर्पोरेशन (केआईएनएफआरए), केरल सरकार के 146 करोड़ रूपए की बोली को अनुमोदन प्रदान कर दिया था। वर्ष 2021 में एचएनएल का नाम बदलकर केरल पेपर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (केपीपीएल) कर दिया गया।

7. व्यवहार्य नहीं पाए गये सौदे

क्र. सं.	पीएसई का नाम
25.	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इंडिया) लिमिटेड
26.	ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड

8. <u>संपन्न सौदे</u>

क्र. सं.	पीएसई का नाम
27.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल)
28.	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (आरईसी)
29.	एचएससीसी (इण्डिया) लिमिटेड
30.	नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनपीसीसी)
31.	ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीसीआईएल)
32.	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (टीएचडीसी)
33.	नॉर्थ ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (नीपको)
34.	कामराजार पोर्ट लिमिटेड
35.	एअर इंडिया^^
36.	नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल)

^^वे सहायक कंपनियां जो वर्तमान में एआईएएचएल के पास हैं, का अभी विनिवेश किया जाना है।

*****